


“नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.2018”

निर्देशानुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2018

(शनिवार) को “नेशनल लोक अदालत” का आयोजन म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु दावा, चैक अनादरण के प्रकरण, भरण-पोषण / वैवाहिक विवाद प्रकरण, भू-अर्जन संबंधी प्रकरण, वेतन-भत्तों से संबंधित सेवा विवाद, राजस्व प्रकरण इत्यादि सहित **सभी प्रकार के शमनीय प्रकरण**, जो पूर्व से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, को समझौता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु रखा जावेगा।

अतः समस्त पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से कराना चाहते हैं, तो यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची इस कार्यालय में ई-मेल, फैक्स, दूरभाष या स्वयं प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

दिनांक 09.01.2018

  
(राजीव कर्महे)  
सचिव